

प्रधान कार्यालय : 7, भीकाएजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली - 110607
**Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place,
New Delhi - 110607**

असाधारण आम बैठक
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

मंगलवार, 20 मार्च, 2012, समय : प्रातः 11.00 बजे
TUESDAY, 20TH MARCH, 2012, TIME: 11.00 A.M.

स्थान :

पंजाब नैशनल बैंक सभागार
केन्द्रीय स्टॉफ कॉलेज
8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइन्स
दिल्ली 110054

Venue :

**Punjab National Bank Auditorium
Central Staff College
8, Underhill Road, Civil Lines
Delhi 110054**

शेयरधारक, जिनके पास मूर्त रूप में शेयर हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण संदेश पुस्तिका के अंत में है।

IMPORTANT COMMUNICATION FOR SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM AT THE
END OF BOOKLET

विषय-सूची CONTENTS

	पृष्ठ सं./ Page No.
नोटिस NOTICE	1/7
व्याख्यात्मक कथन EXPLANATORY STATEMENT.....	2/8
घोषणा DECLARATION.	13/14
नामांकन फॉर्म NOMINATION FORM	15/16
घोषणा व वचनपत्र DECLARATION & UNDERTAKING	17/18
प्रॉक्सी फॉर्म PROXY FORM	23/24
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पास सह बैलेट पेपर पास ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS CUM BALLOT PAPER PASS.	25/26

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कार्यसूची IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

भाग लेने/मतदान करने वाले पात्र शेयरधारकों की कटऑफ निर्धारित तिथि Cut off date for ascertaining entitlement of shareholders to attend and vote.	मंगलवार, 21 फरवरी, 2012 Tuesday, 21 st February, 2012
नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व Last date for submission of nomination forms on or before	सोमवार, 5 मार्च, 2012 Monday, 5 th March, 2012
नामांकन फॉर्मों की जांच Scrutiny of Nominations	मंगलवार, 6 मार्च, 2012 Tuesday, 6 th March, 2012
प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति से संबंधित संकल्प व प्रॉक्सी फार्मों को जमा करने की अंतिम तिथि Last date of receipt of Proxy Forms and resolutions appointing Authorized Representatives	गुरुवार, 15 मार्च, 2012 Thursday, 15 th March, 2012

प्रधान कार्यालय : 7, भीकाएजी कामा प्लेस, नयी दिल्ली-110 607
(ई-मेल : hosd@pnb.co.in)

सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बँठक) विनियमन 2000 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक दिनांक 20 मार्च 2012 मंगलवार को प्रातः 11.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 में सम्पन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया जायेगा।

1. अधिमान आधार पर इक्विटी शेयरों का निर्गम

निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

'संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में **योजना** कहा जायेगा) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बँठक) विनियमन 2000 के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में **अधिनियम** कहा जायेगा) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक, (आरबीआई), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), और/अथवा इस सम्बन्ध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति के अधीन तथा निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार इस सम्बन्ध में किन्हीं शर्तों, निबन्धनों और संशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद इस संकल्प में **'निदेशक मंडल'** कहा गया है, जिसके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो व गठित की जानी हो) प्रदान की जाती है कि निदेशक मंडल द्वारा **निर्धारित मूल्य रु. 1003.69 प्रति इक्विटी शेयर, सेबी आईसीडीआर विनियमन, के विनियम 76 के अनुसरण में भारत सरकार को 1,28,02,757 तक इक्विटी शेयर तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को 1,58,40,607 तक इक्विटी शेयर, प्रति रुपये 10/- के अंकित मूल्य पर, सृजित करें, उनका प्रस्ताव करें, जारी करें और आबंटन करें।'**

'यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबद्ध तिथि 17.02.2012 है।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों के सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/ जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अथवा लगाये गये प्रस्तावों के संशोधनों को स्वीकार करें।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी किये जाने वाले एवं आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में जारी किए जायेंगे एवं 'सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत अवरुद्धता अवधि की अपेक्षाओं के अधीन होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ (लाभांश सहित यदि घोषित हो) सभी दृष्टियों से समान माने जायेंगे।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामले और विचार करें जो अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से सम्बन्धित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें और निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित अथवा आवश्यक, उचित एवं वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके सम्बन्ध में अपना अनुमोदन दे दिया है।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए वह उचित समझें।'

2. बैंक के तीन शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

निम्नलिखित संकल्प पारित करके बैंक के शेयरधारकों में से केन्द्र सरकार को छोड़कर ऐसे अन्य तीन निदेशकों को चुनना जिनके सम्बन्ध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (जिसे इसके बाद **'विनियमन अधिनियम'** कहा गया है) के साथ पठित बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में **अधिनियम** कहा गया है) की धारा 9(3)(i) के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुए हो, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (जिसे इसके बाद **'योजना'** कहा गया है) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बँठक) विनियमन 2000 (जिसे इसके बाद **'विनियम'** कहा गया है) एवं भारतीय रिजर्व बैंक की 1.11.2007 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 व 47/29.39.001/2007-08 एवं 23.05.2011 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 (जिसे इसके बाद **'भा.रि.बैंक अधिसूचना'** कहा गया है) :

'संकल्प पारित किया जाता है कि योजना तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों एवं भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(3) (i) के अनुक्रम में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से चुने गए **तीन निदेशक** एतद्वारा बैंक के निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए और वे 21.03.2012 से बैंक के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और इस प्रकार से पदभार ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे।'

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22/02/2012

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते पंजाब नैशनल बैंक

(के आर कामत)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

टिप्पणियाँ :

1. व्याख्यात्मक विवरण
बैठक के कारोबार के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों को दर्शाने वाली व्याख्यात्मक विवरणी इसके साथ संलग्न है।
2. शेयरधारकों को चुनाव लड़ने की योग्यता प्रदान करना, कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 21 फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार विनियमन के विनियम संख्या 64 में यथा उल्लिखित शेयरधारकों की पूर्ण सूची सोमवार, 27 फरवरी, 2012 से बैंक के प्रधान कार्यालय में रु.50,000/- (रुपये पच्चास हजार केवल) के भुगतान पर उपलब्ध होगी। इस राशि का भुगतान किसी अनुसूचित बैंक के मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश द्वारा किया जा सकता है जो 'पंजाब नेशनल बैंक' नई दिल्ली/दिल्ली पर देय होना चाहिए।
3. शेयरधारकों के रजिस्टर की एक प्रति निरीक्षण हेतु बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास सोमवार, 27 फरवरी, 2012 से सभी कार्य दिवसों को सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक तथा शनिवार को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (बैंक अवकाश के दिनों को छोड़कर) से सोमवार, 5 मार्च, 2012 में उपलब्ध होगी। यदि किसी शेयरधारक को इसकी प्रति अथवा कम्प्यूटर प्रिंट अथवा इसके किसी हिस्से की जरूरत हो तो प्रत्येक 1000 शब्द अथवा अपेक्षित उसके किसी भाग की प्रतिलिपि के लिए रुपये 5/- की दर से उपलब्ध होगी।
4. उपर्युक्त बैठक का नोटिस जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नामांकन फार्म के प्रारूप, घोषणा, प्रॉक्सी फार्म तथा उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पत्र आदि होंगे बैंक के प्रत्येक शेयरधारक को डाक द्वारा भेज दिए जायेंगे। इन्हें बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
5. बैठक में वैध उपस्थिति पर्ची व प्रवेश-पत्र व मतदाता पर्ची-पास तथा सही पहचान के साथ ही प्रवेश दिया जायेगा।
6. जो शेयरधारक निदेशक के रूप में (शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक, जो केन्द्र सरकार के निदेशकों से भिन्न होंगे) चुनाव लड़ना चाहें, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे :-
क. विधिवत् रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र (अनुबंध 1)
ख. चुनाव लड़ने के पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों की ओर से नामांकन (अनुबंध 2)
ग. व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा उसके साथ एक वचनपत्र जिनके साथ सम्बन्धित दस्तावेज, प्रमाण पत्र होंगे जैसे कि व्यक्तिगत परिचय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि के प्रमाण पत्र इत्यादि (अनुबंध 3)
ये सभी इस नोटिस के साथ भेजे गये प्रारूपों में 'मोहरबंद लिफाफे में' कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 को सभी दृष्टियों से पूर्ण सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व किसी कार्य दिवस को अर्थात् सोमवार, 05 मार्च, 2012 को सायं 5.00 बजे तक अथवा बैंक कार्य समय समाप्त होने से पूर्व पहुंच जाने चाहिए अन्यथा नामांकन रद्द किया जा सकता है।
7. बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के पात्र शेयरधारक अपने बदले किसी प्रॉक्सी की बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी के लिए बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।
8. कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण बैठक में तब तक न तो उपस्थित हो सकता है और न ही वोट दे सकता है जब तक जिस बैठक में उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्णय लिया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित उस निर्णय की सत्यप्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को न मिल जाये।
9. प्रॉक्सी फार्म (अनुबंध 4)/प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र तभी प्रभावी होगा यदि वह बैंक के कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में बैठक से 4 दिन पहले तक अर्थात् गुरुवार, 15 मार्च, 2012 को सायं 5.00 बजे तक अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व प्राप्त हो जाये।
10. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास सह मतदान पर्ची पास
शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास सह मतदान पर्ची पास (अनुबंध 5) संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास पर प्रॉक्सी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि यथा स्थिति लिखें। मतदान के समय बिलेट पेपर प्राप्त करने के लिए बिलेट पेपर पास के हिस्से को जमा करना होगा।
11. इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा परन्तु ऐसा प्रॉक्सी प्रदाता की ओर से बैठक में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है।
12. शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बाँटे जायेंगे।
13. वोटिंग अधिकार
 - अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्स्थानी न्यू बैंक (Corresponding New Bank) का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के 1% से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता/सकती है।
 - विनियमन के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में हो तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा, उसे वोटिंग के सम्बन्ध में उस शेयर का एक मात्र धारक माना जायेगा।
 - उपर्युक्त के अध्यक्षीन, विनियम 68 के अनुसार ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21.02.2012 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, हाथ उठा करके केवल एक वोट देने का अधिकारी होगा और मतदान होने पर अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा।

व्याख्यात्मक विवरण

1. अधिमान आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का निर्गम सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्यक्षीन यथापेक्षित प्रकटन अ) अधिमान निर्गमों का उद्देश्य
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी सुदृढ़ करने की पहल में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में अपनी धारिता बढ़ाने का निर्णय लिया है और भारतीय जीवन बीमा निगम ने उक्त के लिए बैंक की इक्विटी में निवेश के लिये सिद्धान्तः स्वीकृति दी है। वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की धारिता 58% तथा भारतीय जीवन बीमा निगम की धारिता 10.15% है और सेबी के दिशा-निर्देशानुसार अधिमान आधार पर, भारत सरकार 1,28,02,757 तक इक्विटी शेयर तथा भारतीय जीवन बीमा निगम 1,58,40,607 तक इक्विटी शेयर, प्रति रुपये 10/- के अंकित मूल्य पर, अधिमान आधार पर हमारे बैंक में निवेश करेंगे। शेयरों का आबंटन 31.03.2012 तक पूरा किया जाएगा। बढ़ी हुई पूंजी का उपयोग पूंजीगत पर्याप्तता में सुधार करने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकता के निधीयन हेतु किया जायेगा।

ब) यह अधिमान निर्गम भारत सरकार -बैंक के प्रवर्तक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सब्सक्राइब किया जायेगा। निर्गम मूल्य का निर्धारण सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 76 के अनुसार होगा। निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबद्ध तिथि 17.02.2012 है।

स) शेयरों के जारी करने से पूर्व और पश्चात् शेयरधारिता का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

क्रम सं.	वर्ग	निर्गम से पहले		निर्गम के पश्चात्	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत
अ	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	18,37,50,957	58%	**	**
ब	गैर- प्रवर्तक धारिता	13,30,61,200@	42%@	@ @	@ @
	कुल	31,68,12,157	100.00	..	100

** भारत सरकार सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 76 के अनुसार, मंडल द्वारा निर्धारित मूल्य रु. 1003.69 प्रति इक्विटी शेयर, अधिमान आधार पर, 1,28,02,757 इक्विटी शेयर तक, (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रति इक्विटी शेयर) निवेश करेगी।

@ सहित भारतीय जीवन बीमा निगम वर्तमान में, 3,21,42,641 इक्विटी शेयरों की धारिता(10.15%) है।

@ @ भारतीय जीवन बीमा निगम सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 76 के अनुसार मंडल द्वारा निर्धारित मूल्य रु. 1003.69 प्रति इक्विटी शेयर, अधिमान आधार पर, 1,58,40,607 तक इक्विटी शेयर, (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रति इक्विटी शेयर) निवेश करेगा।

घ) बैंक का सेबी आईसीडीआर विनियमनों में यथा निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्गम प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास है।

ड) चूंकि निर्गम भारत सरकार, प्रमुख शेयरधारक और बैंक के प्रवर्तक को अधिमान आधार पर आबंटित किया जाना प्रस्तावित है, अतः नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को आबंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित निर्गम के मामले में नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

च) भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की पूर्व और पश्चात् निर्गम शेयरधारिता निम्नवत् होगी :-

	शेयरों की संख्या		पूंजी का अनुपात	
	भारत सरकार	भारतीय जीवन बीमा निगम	भारत सरकार	भारतीय जीवन बीमा निगम
निर्गम पूर्व	18,37,50,957	3,21,42,641	58%	10.15
निर्गम- पश्चात्	**उपर्युक्त 'स' में दिए गये टिप्पण के अनुसार	@ @उपर्युक्त 'स' में दिए गये टिप्पण के अनुसार	**उपर्युक्त 'स' में दिए गये टिप्पण के अनुसार	@ @उपर्युक्त 'स' में दिए गये टिप्पण के अनुसार

छ) बैंक के इक्विटी शेयरों का सूचीयन छः माह से अधिक समय पहले हो चुका है और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों, 2009 के विनियम 76(3) और 78(5) तथा सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 73(1) (एफ) और (जी) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

ज) जारी किये जाने वाले और भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा को आबंटित किये जाने वाले सभी इक्विटी शेयर आबंटन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध होंगे।

झ) सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षानुसार जारी किया जा रहा है, निर्गम बैठक में पटल पर रखा जायेगा।

ञ) भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर डीमेट रूप में हैं और स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीयन करार में विनिर्दिष्टानुसार इक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबद्ध करने की शर्त का अनुपालन करता है।

ट) भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा के पक्ष में इक्विटी शेयर जारी किए जायेंगे किन्तु उपबन्ध यह है कि संबद्ध समय में सेबी(आईसीडीआर) विनियमन, 2009 व संशोधन यदि कोई है, लागू होगा।

2. बैंक के तीन शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन

• निदेशकों का निर्वाचन करने के लिये शेयरधारकों का अधिकार

भारत सरकार के अलावा शेयरधारक बैंक के शेयर पूंजी के 42% धारक हैं। अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक के शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अलावा) का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशक रखने के पात्र हैं। निम्नलिखित तीन शेयरधारक निदेशकों ने 26 दिसम्बर, 2011 तक पदभार ग्रहण किया था, इस कारण तीन रिक्तियाँ हो गई हैं :-

1. श्री टी एन चतुर्वेदी
2. श्री जी आर सुन्दरावाडीवेल
3. श्री डी के सिंगला

तदनुसार, 27 दिसम्बर 2011 को हुई रिक्तियों को भरने के मद्देनजर, बैंक की असाधारण आम बैठक का बैंक (केन्द्र सरकार के अलावा) के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशकों का चुनाव करने के लिए संयोजन किया गया है।

अतः शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) अपना नामांकन भेजने के पात्र हैं अथवा सम्बद्ध अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना, विनियमन, अधिसूचना जिनके संबद्ध अंश इसमें दिये गये हैं, की विस्तृत प्रक्रिया अनुसार चुनाव लड़ सकते हैं।

चुने गये निदेशक दिनांक 21.03.2012 को पदभार ग्रहण करेंगे और पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए बने रहेंगे।

● **कानूनी प्रावधान**

इस मामले से संबंधित विभिन्न अधिनियमों/योजनाओं/विनियमों/अधिसूचना में दिए प्रावधान निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं :-

अधिनियम/योजनाओं/विनियमन/अधिसूचना	प्रावधान
बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949	धारा 20
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2 ई), धारा 9 (3)(i), धारा 9 (3ए) (ए) से (सी), धारा 9(3एए), धारा 9(3एबी), धारा 9(3) बी, धारा 13(2)
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4), खंड 10, खंड 11, खंड 11ए, खंड 11बी, खंड 12(8)
पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000	विनियम 10, 61 से 70
भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या:डीबीओडी नं.बीसी. नं0 46 तथा 47/29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01.11. 2007 तथा सं0 डीबीओडी नं.बीसी.नं0 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3 एए) और धारा 9 (3एबी) के अनुक्रम में

● **ऊपर उल्लिखित प्रावधानों का सारांश नीचे दिया गया है :**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

धारा 20 में इसके किसी निदेशक को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम मंजूर करने पर कुछेक प्रतिबंधों का उल्लेख है।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

धारा 3 (2ई) में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों के मतदान अधिकार को सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के एक प्रतिशत तक सीमित किया गया है।

धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) में कुछ योग्यताएं/शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनमें विनिर्दिष्ट है कि धारा 9(3)(i) के तहत नामित किए जाने वाले निदेशकों को कुछेक क्षेत्रों का विशेष ज्ञान होना चाहिए।

धारा 9(3)(i) में ऐसे बैंकों में शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या निर्धारित की गई है।

धारा 9 (3एए) और (3 एबी)में विहित है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक के पद पर चुने जाने हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उसके विगत रिकार्ड, निष्ठा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचना संख्या: डीबीओडी.नं. बीसी.नं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 तथा डीबीओडी.नं. बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के जरिए, अधिसूचित किए गए मानदंडों के आधार पर सक्षम और उपयुक्त स्तर का न हो।

धारा 9 (3बी) में भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत इस प्रकार चुने गए निदेशक को हटाने का अधिकार दिया गया है जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

धारा 13 (2) में तीसरी अनुसूची में दिए गए निष्ठा तथा गोपनीयता की घोषणा के अनुरूप होना चाहिए।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970

खंड 9(4) में कहा गया है कि कोई भी निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा परन्तु ऐसा कोई निदेशक लगातार 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।

खंड 10 में निदेशकों के लिए कुछेक अयोग्यताएं विनिर्दिष्ट हैं।

खंड 11 निदेशकों द्वारा पद रिक्त किए जाने से संबंधित है।

खंड 11 ए ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत निर्वाचित निदेशक को हटाया जा सकता है और उसके स्थान पर रिक्त पद को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुना जा सकता है।

खंड 11 बी आकस्मिक रिक्तियों को भरने से संबंधित है।

खंड 12 (8) निदेशकों द्वारा किसी संविदा, ऋण अथवा प्रस्तावित व्यवस्था जिनमें उनका हित है, के संबंध में हितों के प्रकटीकरण से संबंधित है।

पंजाब नैशनल बैंक(शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2000

विनियम 10 में शेयरों की संयुक्तधारिता के मामले में मतदान अधिकार निश्चित किए गए हैं।

विनियम 61 से 70 निदेशक के पद पर चुने जाने हेतु प्रत्याशी के रूप में किसी व्यक्ति को नामित करने हेतु कुछेक शर्तें और चुनाव आयोजित करने की प्रक्रिया तथा अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित हैं।

वैबसाइट में अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचना के उद्धरण

शेयरधारकों की सुविधा के लिये सम्बद्ध विनियमन अधिनियम, अधिनियम, विनियमन, योजना तथा भा.रि. बैंक की अधिसूचना बैंक की वैबसाइट www.pnbindia.co.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

उम्मीदवार के लिये योग्यतायें

उम्मीदवार को अधिनियम की धारा 9(3ए) में यथानिर्धारित योग्यताओं को पूरा करना होगा तथा योजना की धारा 10 में विनिर्दिष्ट अनर्हता वाला न हो तो विनियमन के विनियम 65 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करेगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

I. अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसरण में उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है एवं अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अधीन बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक है, के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए :-

(क) उसे निम्नलिखित मामलों में एक या अधिक का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :-

- (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- (ii) बैंकिंग
- (iii) सहकारिता
- (iv) अर्थशास्त्र
- (v) वित्त
- (vi) विधि

- (vii) लघु उद्योग
- (viii) किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार जो बैंक के लिए उपयोगी हो।
- (ख) वह जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा
- (ग) वह किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।
- II. उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार बैंक का शेयरधारक होने के नाते और बैंक के निदेशक पद के लिए नामांकन पद करने वाले प्रत्याशी को 'सक्षम एवं उपयुक्त' हैसियत वाला होना चाहिए।
- III. इसके अतिरिक्त निर्वाचित निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करनी होगी।

बैंक के निदेशक के रूप में चयन के लिए अनर्हता

- अ) राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 10 के अनुसरण में कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए अयोग्य होगा :-
- (क) यदि वह किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ हो, या उसने ऋण अदा न किया हो या लेनदारों के साथ समझौता किया हो; अथवा
- (ख) यदि वह विकृत मन का हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; अथवा
- (ग) यदि वह किसी दंड न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता निहित हो; अथवा
- (घ) यदि वह किसी पूर्णकालिक निदेशक, प्रबन्ध निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) एवं (च) के अधीन बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के पद के सिवाय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा की उपधारा(ए) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक(अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में कोई लाभ का पद धारित करता हो और
- आ) भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अधीन बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा यदि वह 'सक्षम एवं उपयुक्त हैसियत' वाला न हो।

शेयरधारकों की सूची

बैंक के शेयरधारकों की सूची, जिसकी कट-ऑफ तिथि 21.02.2012 है, पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली/दिल्ली के पक्ष में, देय अधिसूचित बैंक के मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के जरिए रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार केवल) का भुगतान करने पर बिक्री के लिए दिनांक 27.02.2012 से कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग प्रधान कार्यालय 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 से उपलब्ध होंगी।

इच्छुक प्रत्याशी शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण भी कर सकते हैं और उससे उद्धरण निकाल सकते हैं।

शेयरों धारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, पंजाब नेशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5-संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 में दिनांक 27.02.2012 से 05.03.2012 तक सभी कार्यदिवसों अर्थात् सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक और शनिवार को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक खुला रहेगा जिससे प्रत्याशी शेयरधारक रजिस्टर के किसी भाग के उद्धरण ले सके या सम्बन्धित भाग को कम्प्यूटर प्रिंट लेने का बैंक से अनुरोध कर सके जिसके लिए उन्हें 5/- रुपये प्रति हजार शब्द या उसके अंश की दर से उसका पूर्व भुगतान करना होगा।

निर्वाचन में भागीदारी

दिनांक 21.02.2012 को (कट-ऑफ तिथि) एनएडीएल/सीडीएसएल/एसटीए द्वारा तैयार लाभग्राहियों/ शेयरधारकों के रजिस्टर में जिन शेयरधारकों के नाम हैं वे निर्वाचन में भाग लेने के हकदार हैं अर्थात् केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों के बीच में से निदेशकों के निर्वाचन में नामांकन करने, चुनाव करने और वोट देने के हकदार हैं। विनियम 68 के अनुसार ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे कट ऑफ तिथि अर्थात् 21.02.2012 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, हाथ उठा करके केवल एक वोट देने का अधिकारी होगा और मतदान होने पर अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा।

नामांकन

नामांकन की वैधता

विनियमन के विनियम 65 और भा.रि.बैंक अधिसूचना तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा किंतु उपबंध यह है कि :

- क) दिनांक 21.02.2011 (कट ऑफ तिथि) को पंजाब नेशनल बैंक में कम से कम 100 शेयर (एक सौ शेयर) धारित / शेयरधारक हो तथा दिनांक 20.03.2012 तक कम से कम 100 शेयर धारित करता रहे और उसके बाद भी अगर वह निर्वाचित होता है/होती है।
- ख) वह विनियमन अधिनियम, अधिनियम, योजना, विनियमन अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अधीन निदेशक नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तारीख यथा 5.03.2012 को निदेशक होने के अयोग्य घोषित न होता हो।
- ग) नामांकन लिखित रूप से हो और उस पर इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए हकदार कम से कम 100 शेयरधारकों या उनके द्वारा सम्यक रूप से नियत अटार्नी के हस्ताक्षर हों परंतु यह कि यदि शेयरधारक कोई, निगमित निकाय हो तो उक्त निगमित निकाय के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकता है और जहां ऐसा किया जाता है, वहां जिस बैठक में यह पारित किया गया हो उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की एक सत्यप्रति बैंक के कम्पनी सचिव, पंजाब नेशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 के नाम प्रेषित की जाएगी और उक्त प्रति को ऐसी कम्पनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
- घ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किसी न्यायाधीश, जिलाधीश, आश्वसन रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का घोषणा पत्र नामांकन के साथ संलग्न किया गया है कि उसे नामांकन स्वीकार है और वह निर्वाचन के लिए खड़ा होने का इच्छुक है तथा इस अधिनियम के अधीन या इस योजना या इन विनियमों के अधीन निदेशक होने के अयोग्य नहीं है।
- ङ.) इस नोटिस के साथ नामांकन फार्म और विनियमन द्वारा यथानिर्धारित घोषणा फार्म और प्रोफार्म संलग्न है। इन प्रपत्रों सहित संपूर्ण नोटिस बैंक की वेबसाइट : www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) पर भी उपलब्ध है।

नामांकन फार्मों का प्रस्तुत किया जाना :

शेयरधारक जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वे इस नोटिस के साथ भेजे गये प्रारूपों में निम्नलिखित दस्तावेज ‘मोहरबंद लिफाफे में’ कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001 को सभी दृष्टियों से पूर्ण सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व किसी कार्य दिवस को अर्थात् दिनांक 05 मार्च, 2012 सोमवार को सांय 5.00 बजे बैंक कार्य समय समाप्त होने से पूर्व पहुंच जाने चाहिए :-

क. विधिवत् रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र (अनुबंध 1)

ख. चुनाव लड़ने के पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों की ओर से नामांकन (अनुबंध 2)

ग. व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा उसके साथ एक वचनपत्र जिनके साथ सम्बन्धित दस्तावेज, प्रमाण पत्र, होंगे जैसे कि व्यक्तिगत परिचय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि के प्रमाण पत्र इत्यादि (अनुबंध 3)

नामांकनों की जांच और निदेशकों का चुनाव :

(क) नामांकनों की जांच, नामांकनों की प्राप्ति के लिए नियत तिथि के बाद पहले कार्यदिवस 06 मार्च, 2012 मंगलवार को की जायेगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(ख) नामांकनों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अधीन बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा की जाएगी।

(ग) यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए केवल तीन या तीन से कम वैध नामांकन हुए तो ऐसे नामांकित उम्मीदवारों को तुरन्त निर्वाचित हुआ समझा जायेगा एवं उनके नाम और पते इस प्रकार निर्वाचित उम्मीदवारों के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जायेंगे। तथापि, ऐसे निर्वाचित उम्मीदवार 07 मार्च, 2012 को ही कार्यभार संभालेंगे।

(घ) हो रहे चुनाव के समय, यदि तीन से अधिक वैध नामांकन हैं तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जायेंगे। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को चुना हुआ समझा जायेगा और उनके नाम बैठक में अध्यक्ष द्वारा घोषित किए जायेंगे और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जायेंगे। वे दिनांक 21.03.2012 को ही कार्यभार संभालेंगे।

(ङ.) यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटान विनियमन के विनियम 67 के अनुसार किया जायेगा।

दिनांक 20.03.2012 (बैठक तिथि) को चुनाव प्रक्रिया

निदेशकों के निर्वाचन के लिये मतदान प्रक्रिया हाथ उठाकर नहीं होगी अपितु गुप्त मतदान के द्वारा होगी।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा घोषणा करने के तुरन्त बाद मत पत्र जारी होंगे तथा अपराह्न 1.30 बजे तक जारी रहेंगे।

पंजीकरण के समय जारी मतपत्र पास के अभ्यर्पण पर शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य से स्थापित काउंटर्स पर मतपत्र जारी किए जायेंगे।

शेयरधारक मतपत्र में दिए गए तीनों उम्मीदवारों में से अपनी पसन्द के उम्मीदवार के सामने रबड़ स्टैम्प (X) लगाकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मतगणना की जायेगी और अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित किए जायेंगे।

निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दो संवीक्षकों की सहायता से केन्द्र सरकार द्वारा नामिति, जो प्रेक्षक के रूप में कार्य करेगा, की देखरेख में की जायेगी।

नामांकन वापिस लेना

यदि कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापिस लेना चाहता है तो वह ऐसा 19.03.2012 को सांय 5.00 बजे तक बैंक के बंद होने से पूर्व कर सकता है।

निदेशकों का हित

यदि बैंक के निदेशक चुनाव में खड़े होते हैं तो कारोबार के उपर्युक्त मद में उनकी संबद्धता अथवा हित समझा जायेगा।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22/02/2012

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक


(के आर कोमल)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक



Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607
(email : hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Punjab National Bank will be held on Tuesday, the 20th March, 2012 at 11.00 A.M. at Punjab National Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi 110054, to transact the following business:

1. Issue of Equity Shares on Preferential Basis

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the **Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act')** read with **The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme')** and **Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the "Regulations")** and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (**RBI**), Government of India (**GOI**), Securities and Exchange Board of India (**SEBI**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (**SEBI ICDR Regulations**) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**Board**") which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) **to create, offer, issue and allot upto 1,28,02,757 Equity Shares to GOI & upto 1,58,40,607 Equity Shares to LIC of India of face value of ₹ 10/- each on preferential basis at a price of ₹ 1003.69 per Equity Share determined by the Board in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations."**

"RESOLVED FURTHER THAT the **Relevant Date** for determination of the Issue Price is 17.02.2012."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the "SEBI ICDR Regulations" and shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

2. Election of Three Shareholder Directors of the Bank

To elect **THREE** Directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "**Act**"), read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "**Regulation Act**"). The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "**Scheme**") and the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "**Regulations**") and Notification Nos. DBOD.No.BC.No.46& 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 and DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23-05-2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as the "**RBI Notification**") by passing the following resolution:

"RESOLVED THAT three Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notification, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 21.03.2012 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption."

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

(K. R. Kamath)

Chairman & Managing Director

Place : New Delhi
Date: 22/02/2012

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The explanatory statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. To enable the shareholders to contest the election, complete List of Shareholders as indicated in Regulation 64 of the Regulations, as of the Cut-off Date i.e., Tuesday, the 21st February, 2012 will be available for purchase at the Head Office of the Bank from Monday, the 27th February, 2012 by shareholders on a pre-payment of ₹ 50,000/- (Rupees fifty thousand only) by demand draft/pay order of a Scheduled Bank, in favour of 'Punjab National Bank' payable at New Delhi/Delhi.
3. A copy of the Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank with the **Company Secretary, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110 001**, from Monday, the 27th February, 2012 till Monday, the 5th March, 2012 on all working days between 3.00 p.m. & 5.00 p.m. on Monday to Friday and between 11.00 a.m. & 1.00 p.m. on Saturdays (other than Bank Holiday). If any shareholder requires a copy or computer prints or any part thereof, the same shall be supplied to him/her on pre-payment at the rate of ₹5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.
4. Individual notices of the aforesaid meeting containing inter-alia, formats of Nomination form, Declaration, Proxy form and Attendance Slip cum Entry Pass etc. are also available for downloading from the website of the Bank viz. www.pnbindia.in. (Investor Info Page).
5. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid attendance slip cum entry pass cum ballot paper pass with proper identification.
6. Shareholders desirous of contesting the election of the director (of the Bank from amongst the shareholders, other than Central Government) should submit:
 - a. Duly filled in 'Declaration Form' (**Annexure 1**)
 - b. Nominations from minimum of 100 shareholders entitled to participate in the elections (**Annexure 2**)
 - c. Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials viz, Bio-Data, Certificates of Educational Qualification, Experience etc. (**Annexure 3**)

in the formats annexed to this Notice in a "**SEALED ENVELOPE**" to the **Company Secretary, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110 001**, together with connected documents complete in all respects, on a working day at least fourteen days before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Monday, the 5th March, 2012** failing which, the nominations are liable to be rejected.

7. A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.
8. No person shall be entitled to attend or vote at the Extra-ordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate, which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank.
9. The Proxy Form (**Annexure 4**) / Authorised Representative Letter, in order to be effective, must be received by the **Company Secretary, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110 001**, not later than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. on Thursday, the 15th March, 2012**.
10. **ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS- CUM-BALLOT PAPER PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass (**Annexure 5**) is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass cum Ballot Paper Pass, as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The portion of Ballot Paper Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

11. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
12. Shareholders may kindly note that no gifts / gift coupon will be distributed at the meeting.

13. VOTING RIGHTS

- o In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- o As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting shall be deemed to be the sole holder thereof.
- o Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-off Date i.e. 21.02.2012** shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her.

EXPLANATORY STATEMENT

1. Issue of Equity Shares on preferential basis to Gol

Disclosure as required to be made in terms of SEBI (ICDR) Regulations,

a) Objects of the Preferential Issue

In an initiative to strengthen the capital of the Public Sector Banks, the Government of India decided to raise its holding in Public Sector Banks (PSBs) and LIC of India has given in principle approval to invest in Bank's equity for the same. At present in our Bank, the holding of Gol is 58% & of LIC of India is 10.15% and Gol will invest upto 1,28,02,757 Equity Shares in our Bank & LIC of India will invest upto 1,58,40,607 Equity Shares of face value of ₹ 10/- each on preferential basis, at a price of ₹ 1003.69 per Equity Share determined by the Board in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations. The allotment of Equity Shares will be completed by 31.3.2012. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

- b) This preferential issue will be subscribed by the Gol – the promoter of the Bank and by LIC of India. The issue price shall be determined in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations. The relevant date for ascertaining the issue price is 17.02.2012.

c) Shareholding pattern before and after the issue.

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding (Gol)	18,37,50,957	58%	**	**
B	Non – Promoter Holding	13,30,61,200@	42%@	@ @	@ @
	Total	31,68,12,157	100.00	..	100.00

** GOI will invest upto 1,28,02,757 Equity Shares of face value of ₹ 10/- each on preferential basis at a price of ₹ 1003.69 per Equity Share determined by the Board in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations.

@ including LIC of India, presently holding 3,21,42,641 Equity Shares(10.15%).

@@ LIC of India will invest upto 1,58,40,607 Equity Shares of face value of ₹ 10/- each on preferential basis at a price of ₹ 1003.69 per Equity Share determined by the Board in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations.

d) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

e) As the issue is proposed to be allotted to Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, on preferential basis, there would not be any change in control and there will be no change in control in case of issue proposed to be allotted to LIC of India.

f) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India and LIC of India would be as under:

	Number of Shares		Percentage to Capital	
	Gol	LIC of India	Gol	LIC of India
Pre-issue	18,37,50,957	3,21,42,641	58	10.15
Post - issue	**as per remarks given at c) above	@ @ as per remarks given at c) above	** as per remarks given at c) above	@ @ as per remarks given at c) above

g) The Equity Shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.

h) All the Equity Shares of the Bank are listed. All the equity shares to be issued and allotted to the Gol & LIC of India shall be locked in for a period of three years from the date of Allotment.

i) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Meeting.

j) All the Equity Shares held by the Gol & LIC of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of Equity Shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.

k) The issuance of Equity Shares in favour of Gol & LIC of India shall be subject to SEBI(ICDR) Regulations, 2009 as may be applicable at the relevant time including any amendments thereof.

2. Election of Three Shareholder Directors of the Bank

• RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

Shareholders other than Gol hold 42% of the share capital of the Bank. As per Section 9(3) (i) of the Act, Punjab National Bank is entitled to have Three Directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government). The three Shareholders-Directors viz.,

1. Shri T. N. Chaturvedi
2. Shri G. R. Sundaravadivel
3. Shri D. K. Singla

held office till 26th December, 2011, thus three vacancies have arisen.

Accordingly, with a view to fill in the vacancies that have arisen on 27th December, 2011 an Extraordinary General Meeting of the Bank has been convened to elect three Directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government).

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations or can seek election as per the procedure detailed in relevant Act, Regulation Act, Scheme, Regulations, Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder. The elected directors will assume office on 21.03.2012 and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

• LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme / Regulations / Notification governing the matter:-

ACTS / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATION	PROVISIONS
Banking Regulations Act, 1949	Section 20
Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E), Section 9 (3) (i), Section 9 (3A) (A) to (C), Section 9(3AA), Section 9(3AB), Section 9(3B) Section 13(2)
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9 (4), Clause 10, Clause 11, Clause 11A, Clause 11B, Clause 12(8)
Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000	Regulation 10, 61 to 70
Reserve Bank of India Notification No. DBOD.No.BC.No.46&47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD.No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

• **THE GIST OF THE ABOVE MENTIONED PROVISIONS IS DESCRIBED HEREINBELOW:**

Banking Regulation Act, 1949

Section 20 places certain restrictions for granting any loan or advance to or on behalf of any of its directors.

Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

Section 3 (2E) restricts the voting right of a shareholder other than the Central Government to one percent of the total voting rights of all the shareholders.

Section 9(3) (i) prescribes the number of directors to be elected by the shareholders in such banks.

Section 9 (3A) (A) to (C) prescribes certain qualifications specifying that the directors to be nominated under Section 9 (3) (i) shall have special knowledge in certain fields.

Section 9 (3AA) and (3AB) prescribes that no person shall be eligible to be elected as director unless he/she is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as notified by Reserve Bank of India notified vide its Notification Nos.DBOD.No.BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011.

Section 9(3B) deals with the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9(3) (i) of the aforesaid Act, who does not fulfil the requirements of Section 9 (3A) and Section 9(3AA) of the said Act.

Section 13 (2) deals with the obligation as to declaration of Fidelity and Secrecy in the form set out in the Third Schedule.

Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

Clause 9(4) provides that an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Clause 10 specifies certain disqualifications for directors.

Clause 11 deals with vacation of office by directors.

Clause 11 A deals with the situation where a director elected under Sec. 9(3) (i) of the Act may be removed and another person in his stead be elected to fill the vacancy.

Clause 11B deals with casual vacancy.

Clause 12(8) deals with disclosure of interest by directors, in certain arrangements in which they are interested.

Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000

Regulation 10 determines the voting rights in the case of joint holding of shares.

Regulations 61 to 70 prescribe certain conditions for nominating a person as a candidate for election as a Director, the procedure for conducting an election and deal with other incidental matters.

PROVISIONS OF ACTS/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATION ON WEBSITE

For the convenience of the shareholders, the relevant Regulation Act, the Act, the Regulations, the Scheme as well as RBI Notifications are hosted on the Bank's website www.pnbindia.in – (Investor Info page) which are downloadable.

QUALIFICATION FOR A CANDIDATE

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9 (3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Regulations, which are detailed herein.

- I. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as a Director of the Bank under Section 9 (3)(i) of the Act shall:

(A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely :-

- (i) agriculture and rural economy,
- (ii) banking,
- (iii) co-operation,
- (iv) economics,
- (v) finance,
- (vi) law,
- (vii) small scale industry.
- (viii) any other matter the special knowledge of and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

(B) represent the interest of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

- II. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notifications a candidate being a shareholder of the Bank and who files nomination to be a Director of the Bank should possess 'Fit & Proper status'.

- III. Further, the elected directors should execute the Deed of Covenants and are required to furnish annual declarations, as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:-

- a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959,

except for holding the post of a whole-time director, including the Managing Director and directors nominated under clause (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

(B) In terms of RBI Notifications, if he/she is not found to be 'fit and proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

A list of shareholders of the Bank as on 21.02.2012 (cut off date) will be available for sale on and from 27.02.2012 on pre-payment of ₹ 50000/- (Rupees fifty thousand only) by a demand draft/pay order of a Scheduled Bank in favour of "Punjab National Bank" payable at New Delhi/Delhi alongwith a request addressed to the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001. The intending candidates may also inspect the Register of shareholders and take extracts therefrom.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of shareholders will be open for inspection by the shareholders, at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001, on all working days commencing from 27.02.2012 till 05.03.2012 between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. on Mondays to Fridays and on Saturdays between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. for the purpose of enabling the candidates to take extracts of any part from the Register of Shareholders or request the Bank for computer prints of the relevant portions, on prepayment of an amount to be calculated at the rate of ₹ 5/- for every thousand words or part thereof.

PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL/STA as on 21.02.2012 (cut off date) shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on 21.02.2012 (cut off date), prior to the date of a general meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

NOMINATIONS:

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of RBI Notification and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a director will be valid provided:

- (a) he/she is a shareholder holding as on 21.02.2012 (Cut-off Date), a minimum of 100 (one hundred) shares in Punjab National Bank and continue to hold a minimum of 100 shares till 20.03.2012 and thereafter if he is elected.
- (b) as on 05.03.2012 being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be a director under the Regulation Act, the Act, the Scheme, the Regulations or RBI Notifications.
- (c) the nomination is in writing signed by at least **100 shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder which is a Corporate Body may be made by a resolution of the Directors of the said Corporate Body and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- (d) the nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election and that he is not disqualified from being a director, either under the Regulation Act or the Act or Scheme or the Regulations or RBI Notification.
- (e) the Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed to this notice. The entire notice interalia comprising these Proforma is also available on the Bank's Website: www.pnbindia.in. (Investor Info Page)

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of Directors should submit following documents in the formats annexed to this notice, in a SEALED ENVELOPE to the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001 together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., on or before closing hours of the Bank i.e. **5.00 pm on Monday, the 5th March, 2012:-**

- a) Duly filled in Declaration Form (**Annexure 1**);
- b) Nominations from minimum of 100 shareholders entitled to participate in the elections (**Annexure 2**);
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz., Bio Data, Certificates of Educational qualification, experience, etc. (**Annexure 3**)

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS

- (a) Nominations shall be scrutinised by the Bank on Tuesday, the 6th March 2012 the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- (b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the RBI Notifications.
- (c) If there are three or less than three valid nominations for the three vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published in the newspapers as so elected. However, the deemed elected candidates shall assume office only on 07.03.2012
- (d) In the event of an election being held, if the valid nominations are more than three, the names of the candidates shall be published in the news papers. The candidates polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be announced by the Chairman in the meeting and will also be published in newspapers. They will assume office on 21.03.2012
- (e) If there is any dispute, the same shall be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

Poll Process on 20.03.2012 (Meeting date)

The voting for election of directors will not be on the basis of show of hands but shall be done by Poll by means of Secret Ballot.

The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman and continue upto 1.30 p.m.

Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders / proxy holders / authorized representatives on surrender of **Ballot Paper Pass** issued at the time of registration.

Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the names of three candidates of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).

The Counting of votes would be taken up thereafter and the Results would be announced by the Chairman.

The entire process of election would be conducted by a Chief Returning Officer appointed by the Bank, with assistance of two scrutineers, would be overseen by the Central Government Nominee, who will act as an Observer.

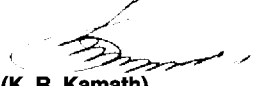
Withdrawal of Candidature

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. on or before 5.00 pm on 19.03.2012.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the election.

**By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank**


(K. R. Kamath)

Chairman & Managing Director

Place : New Delhi
Date: 22/02/2012

प्रधान कार्यालय : 7, भीकाएजी कामा प्लेस, नयी दिल्ली-110 607
(ई-मेल : hosd@pnb.co.in)

अनुबंध - 1

घोषणा
(उम्मीदवार द्वारा)
(विनियम 65 देखें)

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी.....श्री/श्रीमती.....
निवासी..... एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि :

क) _____, 2012 अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए कट ऑफ तिथि को मैं बैंक का/की शेयरधारक हूँ और मेरी शेयरधारिता ----- इक्विटी शेयरों की है ।

ख) मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, अथवा----- की विशेष जानकारी अथवा व्यवहारिक अनुभव* प्राप्त है (भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार से जिस विषय का विशेष ज्ञान अथवा/और व्यावहारिक अनुभव* बैंक के लिए लाभदायक होगा) और मैं, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 9 के अनुसरण में जमाकर्ताओं और/अथवा कृषकों, कर्मकारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके प्रमाण में संबंधित प्रमाणपत्रों को संलग्न कर रहा हूँ; और

ग) मैं ----- नामांकन स्वीकार करता/करती हूँ; और

घ) मैं पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक के रूप में चुनाव में भाग लेने का/की इच्छुक हूँ; और

ड.) मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर व बँठक) विनियमन, 2000, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना डीबीओडी सं० बीसी सं० 46 तथा 47/29-39.00/2007-08 दिनांक 1.11.2007 तथा सं० डीबीओडी. सं० बीसी. सं० 29.29.001 दिनांक 23.5.2011 के प्रावधानों के तहत बैंक का/की निदेशक होने के अयोग्य नहीं हूँ; और

च) मैं कोई लाभ का पद धारित नहीं करता हूँ या न ही किसी राष्ट्रीयकृत अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का/की कर्मचारी हूँ; और

छ) मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/रही हूँ जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है; और

ज) मैं इस घोषणा के बाद होने वाले परिवर्तन से, जो इससे पहले दी गई सूचना से संबंधित हों और बैंक में निदेशक के पद पर मेरे चयन हेतु प्रसंविदा विलेख के निष्पादन के लिए अपेक्षित हों, यथासंभव शीघ्र बैंक को अवगत करवाने का वचन देता/देती हूँ ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो/ डीपीआईडी-सीएलआईडी	
स्थान :	
दिनांक :	

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए।

मोहर सहित हस्ताक्षर तथा -----

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम -----

नोट - घोषणा पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन संबंधी रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक या पंजाब नैशनल बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष मोहर सहित होने चाहिए ।

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607
(email : hosd@pnb.co.in)

Annexure - 1

DECLARATION

(By the Candidate)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, _____ son/daughter/wife of Shri _____, a resident of _____

hereby confirm that :

- I am a shareholder holding _____ equity shares of Bank, as on Tuesday, the 21st February, 2012, i.e. the cut off date for participating in the elections; and
- I have special knowledge or practical experience* in (i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii) Co-operation, (iv) Economics, (v) Finance, (vi) Law, (vii) Small Scale Industry or _____ (special knowledge of an practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of Depositors or Farmers, Workers and Artisans, in terms of sub section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials; and
- I accept the nominations numbered from _____ to _____; and
- I am willing to stand for the election as Director of Punjab National Bank; and
- I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, RBI Notification – DBOD No. BC. No.46 & 47/29-39.00/2007-08 dated 1.11.2007 and DBOD NO. BC.No.29.29.001 dated 23.5.2011; and
- I neither hold any office of profit nor I am an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959; and
- I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete; and
- I undertake to keep the Bank informed , as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Signature	
Name	
Number of Shares	
Regd. Folio/DPID-CLID	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Signature with Seal and _____

Name of the attesting official _____

Note: The declaration must be signed by the Candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or Punjab National Bank or any other Nationalised Bank.

* Delete whichever is not applicable

प्रधान कार्यालय : 7, भीकाएजी कामा प्लेस, नयी दिल्ली-110 607
(ई-मेल :hosd@pnb.co.in)

अनुबंध -2

नामांकन फार्म
(उम्मीदवार द्वारा)
(विनियमन 65 डी देखें)

क्रम सं.

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
पंजाब नैशनल बैंक
7, भीकाएजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली - 110 607

प्रिय महोदय,

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

आपके दिनांक2012 की सूचना के संदर्भ में, मैं
पंजाब नैशनल बैंक का/की शेयरधारक, दिनांक 2012 को 10/-रुपए प्रत्येक केइक्विटी शेयरों का/की धारक, एतद्वारा
श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
श्री/श्रीमती.....निवासी.....
को 20.03.2012 को होने वाली शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधान के
अनुसार शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए एतद्वारा नामांकित करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी-सीएलआईडी	
स्थान :	
दिनांक :	

टिप्पणियां

- निगमित निकाय द्वारा नामांकन किए जाने की स्थिति में, नामांकन प्रपत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प जिस पर उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हों, जिसमें इसे पारित किया गया, की सत्यापित प्रति संलग्न की जाए।
- प्रत्याशी को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मिलते हों।
- यदि उपर्युक्त कालमों में से किसी को खाली छोड़ा गया या विवरण गलत पाया गया तो नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607
(email : hosd@pnb.co.in)

Annexure - 2

Sl.No.

NOMINATION FORM

(by the Shareholder)

(Refer Regulation 65(d) of the Regulations)

To

The Chairman & Managing Director,
PUNJAB NATIONAL BANK,
7, Bhikhaiji Cama Place,
New Delhi 110607

Dear Sir,

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated _____ 2012, I _____ a shareholder of Punjab National Bank, holding _____ equity shares of Rs. 10/- each on _____ 2012 do hereby nominate Shri/Smt _____ son/daughter/wife of Shri _____ residing at _____ for being elected as a Director of Punjab National Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Extraordinary General Meeting of the shareholders to be held on 20.03.2012.

Signature	
Name	
Number of Shares	
Regd. Folio/DPID-CLID	
Place	
Date	

Notes :

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

प्रधान कार्यालय : 7, भीकाएजी कामा प्लेस, नयी दिल्ली-110 607
(ई-मेल : hosd@pnb.co.in)

अनुबंध-3

व्यक्तिगत सूचना
(-----2012 की स्थिति अनुसार संलग्नकों सहित)

प्रत्याशी द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र

I	प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण	
क	पूरा नाम	
ख	जन्मतिथि	
ग	शैक्षिक योग्यता	
घ	संबंधित पृष्ठभूमि एवं अनुभव	
ड.	स्थायी पता	
च	वर्तमान पता	
छ	ई-मेल आईडी/टेलीफोन नम्बर (लैंडलाइन/मोबाइल)	
ज	आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या और आयकर सर्कल का नाम एवं पता	
झ	सम्बद्ध ज्ञान एवं अनुभव (बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3ए) देखें)	
ञ	बैंक के निदेशक-पद से संबंधित अन्य कोई जानकारी	
II	प्रत्याशी के सम्बन्धियों का विवरण	
क	बैंक के साथ किसी भी रूप में सम्बद्ध रिश्तेदार, यदि कोई हों, का ब्यौरा (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची I-क देखें)	
ख	ऐसी संस्थाओं की सूची, यदि कोई है, जिनमें उसे हितबद्ध समझा जाता है (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 299 (3) (क) और धारा 300 देखें)	
ग	ऐसी संस्थाओं की सूची, जिनमें प्रत्याशी को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एन ई) के अर्थ के दायरे में महत्वपूर्ण हित धारित करने वाला समझा जाता है। (प्रस्तावित एवं मौजूदा)	

Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607
(email : hosd@pnb.co.in)

Annexure –3

PERSONAL INFORMATION

(With enclosures as appropriate as on _____ 2012)

DECLARATION AND UNDERTAKING

I.		Personal details of the candidate	
	A	Name in Full (in block capital letters)	
	B	Date of Birth	
	C	Educational Qualifications	
	D	Relevant Background and experience	
	E	Permanent Address	
	F	Present Address	
	G	E-mail address/ Telephone Number (Landline/Mobile)	
	H	Permanent Account Number (under the Income Tax Act) and Name and address of Income Tax Circle	
	I	Relevant Knowledge & Experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970)	
	J	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II.		Relevant Relationships of the candidate	
	A	List of Relatives, if any, who are connected with the Bank in any way (Refer Section 6 and Schedule I-A of the Companies Act, 1956)	

	घ	बैंक का नाम जिसमें वह निदेशक मंडल का सदस्य है अथवा रहा है (उस अवधि का ब्यौरा दें जिस दौरान आप उस पद पर रहे) ।	
	ड.	उसके द्वारा और/अथवा उपरोक्तानुसार - II (ख) एवं (ग) में दर्शायी गयी संस्थाओं द्वारा निधि एवं गैर-निधि सुविधाएं जिनका इस समय लाभ उठाया जा रहा है ।	
	च	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां उम्मीदवार अथवा उपरोक्तानुसार - II (ख) एवं (ग) में दर्शायी गयी संस्थाओं द्वारा पंजाब नेशनल बैंक अथवा अन्य किसी बैंक से ली गई ऋण सुविधाओं के संबंध में चूककर्ता हो या चूककर्ता रही हो ।	
III		व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड	
	क	संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV		प्रत्याशी के खिलाफ कार्यवाहियां, यदि कोई हों	
	क	यदि प्रत्याशी व्यावसायिक संस्था/निकाय का सदस्य है और उसके खिलाफ यदि कोई अनुशासनिक कार्रवाई लम्बित हो अथवा आरम्भ की गयी हो अथवा विगत में उसे दोषी ठहराया गया हो अथवा उसे किसी भी समय किसी व्यवसाय/कारोबार शुरू करने के लिए प्रतिबंधित किया गया हो, का विवरण दें ।	
	ख	निदेशक और/अथवा उपर्युक्त II (ख) एवं (ग) में सूचीबद्ध किसी इकाई के खिलाफ आर्थिक नियमों और विनियमों के लिए विगत में लम्बित अथवा शुरू किए गए अथवा दोष सिद्ध हुए अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण	
	ग	प्रत्याशी के खिलाफ विगत में लम्बित अथवा शुरू किए गए अथवा दोष सिद्ध आपराधिक अभियोजन, यदि कोई हों, के विवरण	
	घ	क्या प्रत्याशी को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है ?	
	ड.	क्या प्रत्याशी अथवा उपर्युक्त II (ख) एवं (ग) में दी गई किसी इकाई की सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के निर्देश पर कोई जांच की गई है।	
	च	क्या प्रत्याशी को कभी/सीमा शुल्क/आबकारी/आयकर/विदेशी मुद्रा विनियम/ अन्य रेवेन्यू प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/कानूनी अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है, यदि हां तो विवरण दें ।	

	B	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956)	
	C	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed & existing	
	D	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during such office was held)	
	E	Fund and non-fund facilities, if any, presently being enjoyed by him/her and/or by entities listed in II(B) and (C) above from the Bank.	
	F	Cases, if any, where the candidate or entities listed at II (B) & (C) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other bank	
III.		Records of Professional Achievements	
	A	Professional achievements relevant	
IV.		Proceedings, if any, against the Candidate	
	A	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time	
	B	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in II (B) & (C) 2, above for violation of economic laws and regulations	
	C	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate.	

	छ	क्या किसी नियामक संस्था जैसे कि सेबी, आईआरडीए, डीसीए इत्यादि द्वारा प्रत्याशी/निदेशक के खिलाफ कभी कुछ प्रतिकूल पाया गया है। (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह ऐसे आदेशों एवं निष्कर्षों के कॉलम का उल्लेख करे जिन्हें बाद में पलट दिया गया है/पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, फिर भी उसके लिए यह बताना आवश्यक होगा, यदि निर्णय का पलटा जाना/समाप्त किया जाना अधिकार क्षेत्र की कमी परिसीमन आदि कारणों से हो तथा गुण-दोष के आधार पर न हो। यदि नियामक के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगायी गयी हो तथा अपीलीय/न्यायालय संबंधी कार्रवाई विचाराधीन हो तो, उसका उल्लेख भी किया जाना चाहिए)।	
V		मद संख्या। से III के संबंध में, कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना और अन्य कोई जानकारी जो, 'सक्षम एवं उपयुक्त' स्थिति का निर्णय लेने के लिए संगत हो।	

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सही एवं पूर्ण है। उक्त दी गई सूचना में मेरी नियुक्ति के पश्चात् होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मैं यथाशीघ्र बैंक को अवगत करवाने का वचन देता/देती हूँ।

बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित की जाने वाली अपेक्षित प्रतिज्ञा पत्र को निष्पादित करने का भी मैं वचन देता/देती हूँ।

स्थान :

दिनांक :

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

VI. नामांकन समिति की टिप्पणियां

--

स्थान :

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

दिनांक :

सदस्य का नाम

सदस्य का नाम

सदस्य का नाम

	D	Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Companies Act, 1956?	
	E	Has the candidate or any of the entities at II (B) & (C) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	F	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/ excise/income tax/foreign exchange/other revenue authorities; if so give particulars	
	G	Whether the candidate/director had at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned)	
V		Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging 'fit and proper'.	

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the Bank.

Place :

Date :

Signature of the Candidate

VI. Remarks of the Nomination Committee :

--

Place:

Signature

Signature

Signature

Date :

Name of Member

Name of Member

Name of Member

प्रधान कार्यालय : 7, भीकाएजी कामा प्लेस, नयी दिल्ली-110 607
(ई-मेल :hosd@pnb.co.in)

अनुबंध 4

फार्म- "बी"
प्रॉक्सी फार्म
(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं०(मूर्त शेयरों के लिए)	
डीपीआईडी सं०. ग्राहक आईडी सं०(अमूर्त शेयरों के लिए)	
शेयरों की सं०	

मैं/हम _____ राज्य _____ के जिला _____ का/की/के निवासी _____ पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा _____ राज्य के _____ जिला _____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर _____ राज्य के जिला _____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ को मंगलवार दिनांक 20.03.2012 को प्रातः 11.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में जो पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडर हिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करती हूँ/करती हूँ/करते हैं ।

_____ माह के _____ दिन, 2012 को हस्ताक्षरित ।

रसीदी टिकट

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

प्रथम /एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर _____

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी दस्तावेज तभी वैध होगा, जब
 - क) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा या उसके अटर्नी द्वारा लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा ।
 - ख) संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य रजिस्टर में पहले नाम पर शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या उसके अटर्नी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा ।
 - ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसकी कॉमन सील, यदि हो, के तहत निष्पादित किया जाएगा अथवा इसके लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।
 - घ) विधिवत् स्टाम्पित फार्म 'बी' में होगा
2. प्रॉक्सी दस्तावेज जिस पर शेयरधारक द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया है, तभी वैध माना जाएगा जब इसे किसी जज, मैजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या पंजाब नैशनल बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो ।
3. प्रॉक्सी जिसके साथ में
 - क. पॉवर ऑफ अटर्नी या प्राधिकार पत्र (यदि हो तो) जिसके अन्तर्गत इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या
 - ख. उक्त पॉवर ऑफ अटर्नी या प्राधिकार पत्र की प्रति जिसे नोटेरी या मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो, असाधारण आम बैठक की तिथि से कम से कम 4 दिन पहले गुरुवार, 15 मार्च 2012 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे से पहले शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, पंजाब नैशनल बैंक, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 में जमा करवा दिया जाए ।
4. यदि संबंधित मुख्तारनामा पंजाब नैशनल बैंक में या इसके शेयर हस्तांतरण एजेन्ट के पास पहले से पंजीकृत है तो मुख्तारनामे में पंजीकृत संख्या और पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाए।
5. बैंक के पास जमा प्रॉक्सी प्रपत्र अविकल्पी और अंतिम होगा ।
6. यदि प्रॉक्सी प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो लोगों के पक्ष में मंजूर किया गया हो तो एक से अधिक प्रॉक्सी को निष्पादित नहीं किया जाएगा ।
7. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रपत्र को निष्पादित किया है, वह उस बैठक में, जिससे ये प्रपत्र संबंधित है, उपस्थित होकर मतदान करने का हकदार नहीं होगा ।
8. इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा । ऐसे में प्रॉक्सी, प्रदाता की ओर से उपस्थित हो सकेगा और वोट दे सकेगा।
9. कोई व्यक्ति पंजाब नैशनल बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नहीं कर सकता है ।

Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607
(email : hosd@pnb.co.in)

Annexure – 4

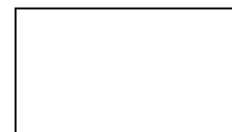
FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DPID No. Client ID No. (If Dematerialised)	
No of shares.	

I/We, _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder/s of Punjab National Bank, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on **Tuesday, the 20th March, 2012, at 11.00 a.m., at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi – 110054**



Signature of first/sole shareholder

Signature of the Proxy _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate, it is signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
 - shall be in the Form B and duly stamped.
- An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Punjab National Bank.
- The proxy together with :
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Share Department, Finance Division, Punjab National Bank, 5, Sansad Marg, New Delhi – 110 001 not later than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before **closing hours i.e. 5.00 p.m. of Thursday, the 15th March, 2012.**
- In case the relevant power of attorney is already registered with Punjab National Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab National Bank.

प्रधान कार्यालय : 7, भीकाएजी कामा प्लेस, नयी दिल्ली-110 607
(ई-मेल :hosd@pnb.co.in)

अनुबंध 5

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र सह मतदान पर्ची पास
असाधारण आम बैठक
मंगलवार, 20 मार्च, 2012 समय प्रातः 11.00 बजे
पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज
8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली -110054
उपस्थिति पर्ची
(उपस्थिति पंजीकरण के समय लौटा दी जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी /ग्राहक आईडी सं0	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालय : 7, भीकाएजी कामा प्लेस, नयी दिल्ली-110 607
(ई-मेल :hosd@pnb.co.in)
असाधारण आम बैठक
मंगलवार, 20 मार्च, 2012 समय प्रातः 11.00 बजे
प्रवेश पत्र
(बैठक की कार्यवाही के दौरान अपने पास रखा जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी /ग्राहक आईडी सं0	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र को बैठक कक्ष में उपस्थिति के समय विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना होगा। बैलेट पेपर का जो भाग आपको मिला है, उसका पास वाला हिस्सा आपको लौटाना होगा। किसी भी स्थिति में प्रवेश द्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालय : 7, भीकाएजी कामा प्लेस, नयी दिल्ली-110 607
(ई-मेल :hosd@pnb.co.in)
असाधारण आम बैठक
मंगलवार, 20 मार्च, 2012 समय प्रातः 11.00 बजे
मतदान पत्र पास
(बैठक की कार्यवाही के दौरान अपने पास रखा जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी /ग्राहक आईडी सं0	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607
(email : hosd@pnb.co.in)

Annexure – 5

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
TUESDAY, THE 20TH MARCH, 2012 AT 11.00 A.M.

AT PUNJAB NATIONAL BANK AUDITORIUM, CENTRAL STAFF COLLEGE,
8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES, DELHI-110 054

ATTENDANCESLIP

(To be surrendered at the time of registration of attendance)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

Punjab National Bank
Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607
(email : hosd@pnb.co.in)
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
TUESDAY, THE 20TH MARCH, 2012 AT 11.00 A.M.
ENTRY PASS
(To be retained throughout the meeting)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD. FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued.

Punjab National Bank
Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607
(email : hosd@pnb.co.in)
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
TUESDAY, THE 20TH MARCH, 2012 AT 11.00 A.M.
BALLOT PAPER PASS
(To be surrendered at the Polling Counters to obtain Ballot Paper)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD. FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	Number . of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5, संसद मार्ग, नयी दिल्ली-110001
टेलीफोन (का.) 23719086, टेलीफैक्स 23711663 फैक्स 23766079
(ई-मेल : hosd@pnb.co.in)

मूर्त रूप में शेयर रखने वाले
शेयरधारकों के लिए

संदर्भ : पीएनबी/एसएचएफडी/2012

प्रिय शेयरधारकों,

जैसाकि आप जानते हैं कि पंजाब नैशनल बैंक अपने महत्वपूर्ण शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करता रहा है। हमें यह विदित हुआ है कि आपके पास मूर्त रूप में बैंक के शेयर हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सूचित किया जाता है कि बैंक के शेयर मूर्त रूप से बाजार में खरीदे-बेचे नहीं जा सकते और आपके शेयरों में तरलता लाने के लिए अनुरोध है कि आप पंजाब नैशनल बैंक की किसी नजदीकी शाखा जो इस प्रकार की सुविधा प्रदान कर रही हैं वहां अपना डीमैट खाता खोल लें। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई वार्षिक रखरखाव शुल्क (एएमसी) नहीं है व जिन शेयरधारकों के पास पीएनबी शेयर व दूसरी कम्पनियों के शेयर डीमैट में रहेंगे उन पर भी एएमसी नहीं लगेगी, अगर शेयर बेचेंगे तो वार्षिक रखरखाव शुल्क एएमसी शुरू हो जाएगी। आपकी डीमैट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची बैंक की वेब साइट www.pnbIndia.in पर दी गयी है।

2. इससे आप विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यथा आपके खाते में सीधे लाभांश जमा होना, तुरंत निपटान, कागज़ रहित खरीद-बेच (पेपरलैस ट्रेडिंग), अमान्य डिलीवरी तथा लाभांश वारंट के खोने से बचने इत्यादि का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ-साथ पते में परिवर्तन, बैंक अधिकार-पत्र, नामांकन तथा खरीदने बेचने के अनुरोध और यदि आपके पास एक से अधिक कम्पनियों के शेयर भी हों तो इन सभी सुविधाओं को आप केवल एक स्थान पर प्राप्त सकते हैं अर्थात् उस शाखा में जहां आपने अपना डीमैट खाता खोला है।

3. फिर भी यदि आप शेयरों को मूर्त रूप में रखना चाहते हैं और डीमैट खाता नहीं खोलना चाहते तो कृपया हमें निम्नलिखित विवरण उपलब्ध करवाएं ताकि आपके खाते में सीधे लाभांश जमा किया जा सके।

4. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने "निगमित शासन में हरित पहल" को अपनाया है, तदनुसार, कम्पनियों द्वारा शेयरधारकों को नोटिस/दस्तावेज़/अन्य पत्राचार इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की अनुमति दी गयी है तो कृपया हमारे पास, यदि आपने शेयरों को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवाया है तो अपने डिपॉज़िटरी के पास (डीपी) अपना ई-मेल पता भी पंजीकृत करवाएं।

तदनुसार आपसे अनुरोध है कि हमें निम्नलिखित विवरण उपलब्ध करवाएं :

क्रम सं०	विवरण	
1	नाम	
2	फोलियो नं०	
3	डाक पता	
4	टेलीफोन नं०/मोबाइल नं०	
5	ई-मेल पता	
6	बैंक खाता विवरण	
	i) बैंक का नाम	
	ii) शाखा का नाम, पता एवं टेलीफोन नं०	
	iii) खाता संख्या	
	iv) शाखा का 9 अंकों का माईकर कोड (कृपया रद्द किए गए चैक/चैक की एक प्रति संलग्न करें)	
	v) आईएफएससी कोड सं०	

धन्यवाद,

भवदीय

कम्पनी सचिव

SHARE DEPARTMENT, FINANCE DIVISION
5, SANSAD MARG NEW DELHI – 110 001
Tel(O) 23719086, Telefax 23711663, Fax 23766079
(email: hosd@pnb.co.in)

**For shareholders holding
shares in physical form**

Ref: PNB/SDFD/2012

Dear Shareholder,

You are aware that Punjab National Bank has been providing best services to their valued shareholders. It has been observed that you are holding shares of the Bank in physical form. In this context, we inform that the shares of the Bank cannot be traded in physical form & in order to impart liquidity to your shareholding, you are requested to convert it into Demat by opening an account with the nearest PNB branch providing such service. Please note that senior citizens are exempted from Annual Maintenance Charges & in case of holding of Bank's share besides of other companies in Demat form, there will be no Annual Maintenance Charges & in case Bank's / other shares are sold, Annual Maintenance Charges will become applicable. The list of branches providing Demat services is given on Bank's website www.pnbindia.in.

2. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of bad deliveries & loss of Dividend Warrant in transit, faster settlements, paperless trading, direct credit of dividend in your account etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transmission are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one company.

3. However, if you are still interested in holding the shares in physical form and not opting for Demat, please provide us details mentioned below to enable us to credit dividend directly in your account.

4. Further, the Ministry of Corporate Affairs has taken the "Green Initiative in Corporate Governance", thereby allowing companies to send notices/documents/other communications to their shareholders through electronic mode. So please also register your e-mail address with us and with your Depository Participant (DP), in case you have converted shares in Demat form.

As such, you are requested to provide us following details:

S.No.	Particulars	
1	Name	
2	Folio No.	
3	Mailing Address	
4	Telephone No. / Mobile No.	
5	E-mail Address	
6	Bank Account Details	
	i) Name of the Bank	
	ii) Name, Address & Telephone No. of the Branch	
	iii) Account Number	
	iv) 9 digit MICR code of the branch (please attach a cancelled cheque/copy of a cheque leaf)	
	v) IFSC Code No.	

Thanking you,

Yours faithfully,

Company Secretary

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ
...भरोसे का प्रतीक !

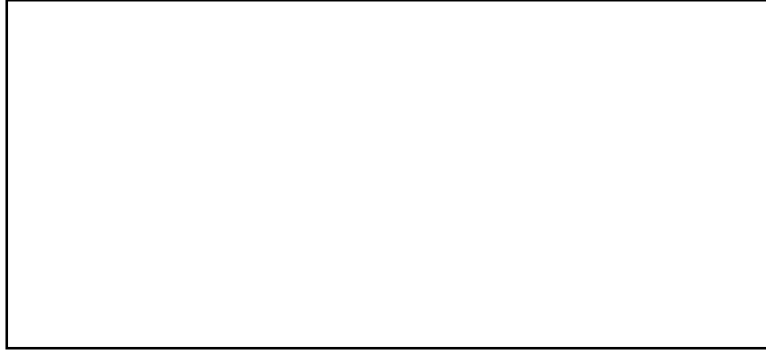


punjab national bank
...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालय : 7, भीकाएजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली - 110607

Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place,
New Delhi - 110607

बुक पोस्ट BOOK POST



वितरित न होने पर कृपया वापिस करें ;

If undelivered please return to
पंजाब नैशनल बैंक

Punjab National Bank

शेयर विभाग, वित्त प्रभाग,

Share Department, Finance Division

प्र.का. 5, संसद मार्ग,

HO: 5, Sansad Marg

नई दिल्ली - 110001

New Delhi 110001